**गतिविधि में भागीदारी के लिए करार**

**(संभावित दावों के परित्‍याग और विमोचन तथा अन्‍य दायित्‍वों के विवरण सहित)**

इससे पहले कि छात्र को नीचे परिभाषित गतिविधि में किसी भी ढंग से भाग लेने की अनुमति दी जाए, इस करार के सभी खंड अवश्‍य पूरे होने चाहिए तथा हस्‍ताक्षरित मूल प्रति स्‍कूल के कार्यालय को सुपुर्द की जानी चाहिए। प्रत्‍येक गतिविधि, जिसमें छात्र भाग ले सकता है, के लिए अलग करार अपेक्षित है।

|  |  |
| --- | --- |
| छात्र का नाम  | पता:  |
| ग्रेड:  | जन्‍म की तारीख:  |
| स्‍कूल:  | टेलीफोन:  |
| गतिविधि/क्‍लब/कक्षा/कार्यक्रम:  |

सूचीबद्ध गतिविधि में शामिल होने या भाग लेने के लिए, या किसी गतिविधि बैठक, क्‍लास, प्रतियोगिता, शो, कार्यक्रम, या प्रस्‍तुति, जिसमें किसी बैठक, क्‍लास, प्रतियोगिता, शो, कार्यक्रम या प्रस्‍तुति (‘’गतिविधियां’’) में आने और जाने की यात्रा शामिल है, में उपस्‍थिति या भागीदारी के लिए सदस्‍यों के चयन हेतु प्रयुक्‍त कोई आज़माइश या प्रक्रिया सहित, ऊपर सूचीबद्ध छात्र गतिविधि, छात्र क्‍लब, और/या विशेष क्‍लास या कार्यक्रम (‘’गतिविधि ’’) (जिसमें स्‍कूल के बाद के कार्यक्रम या कक्षाएं शामिल हैं जिनमें नुकसान या चोट का विशेष जोखिम होता है) में भाग लेने की छात्र की योग्‍यता पर विचार करते हुए, इस करार पर हस्‍ताक्षर करने वाला छात्र और माता-पिता या कानूनी अभिभावक (‘’प्रौढ़’’) निम्‍नानुसार सहमत होते हैं:

1. गतिविधियों सहित पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना सुविधा है, न कि अधिकार। यह सुविधा ऐसे किसी भी कारण से किसी भी समय वापस ली जा सकती है जिससे संघीय, राज्‍य या जिला कानूनों, नीतियों या प्रक्रियाओं का उल्‍लंघन नहीं होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि छात्र टीम बनाएगा, टीम में बना रहेगा, या टीम के कार्यक्रमों, शो, निष्‍पादनों, या प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेगा। ये मामले अनन्‍य रूप से जिला और इसके कर्मचारियों के निर्णय और विवेक के अंतर्गत बने रहेंगे।
2. **छात्र और प्रौढ़ गतिविधि, और इससे सम्‍बद्ध गतिविधियों के स्‍वरूप को समझते हैं, तथा छात्र स्‍वेच्‍छा से गतिविधियों में भाग लेना चाहता है। प्रौढ़ गतिविधियों में छात्र की भागीदारी के लिए सहमति देता है।**
3. छात्र गतिविधि के शिक्षकों, कोचों, पर्यवेक्षकों, संरक्षिकाओं, और अनुदेशकों की हिदायतों तथा निर्देशों का पालन करेगा। गतिविधि के साथ-साथ शैक्षिक और/या अन्‍य स्‍कूली गतिविधियों में छात्र की भागीदारी के दौरान, छात्र सभी लागू आचार संहिताओं का पालन करेगा। छात्र सामान्‍यतया हर समय सर्वोच्‍च नैतिक और आचार शास्‍त्रीय मानकों को ध्‍यान में रखते हुए आचरण करेगा ताकि यह उस पर, गतिविधि और जिला पर सकारात्‍मक रूप से प्रतिबिम्‍बित हो। इन दायित्‍वों को पूरा करने में विफलता के फलस्‍वरूप, जिला के विवेकानुसार, गतिविधियों से तत्‍काल निष्‍कासित हो सकता है तथा गतिविधियों या अन्‍य पाठ्येतर गतिविधियों में किसी भावी भागीदारी के विरुद्ध मनाही हो सकती है। यदि गतिविधियों के दौरान इन दायित्‍वों के उल्‍लंघन से शारीरिक चोट या सम्‍पत्‍ति को क्षति भी पहुँचती है, तो प्रौढ़ (क) छात्र के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप क्षतिग्रस्‍त किसी सम्‍पत्‍ति के पुनरुद्धार या बदलने के लिए भुगतान करेगा, (ख) किसी व्‍यक्‍ति को शारीरिक चोट के कारण हुई किसी क्षति का भुगतान करेगा, और (ग) ऐसी सम्‍पत्‍ति क्षति या शारीरिक चोट के दावों से प्रतिरक्षा, बचाव करेगा और जिला को नुकसान से मुक्‍त रखेगा।
4. गतिविधियों में भागीदारी से चोट लग सकती है, जिसमें सम्भावित रूप से गम्‍भीर चोट या जीवन के लिए खतरा उत्‍पन्‍न करने वाली चोटें या मृत्‍यु शामिल हैं। चोट छात्र की क्रिया या अक्रिया, गतिविधि में शामिल दूसरे छात्र या प्रतिभागी की क्रिया या अक्रिया, या जिले के कर्मचारियों, एजेंटों या स्‍वयंसेवकों द्वारा गतिविधियों का पर्याप्‍त रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, या पर्यवेक्षण करने में वास्‍तविक या कथित रूप से विफल रहने पर उत्‍पन्‍न हो सकती है। गतिविधियों के लिए उपलब्‍ध भौतिक सुविधाओं या उपकरणों के ठीक ढंग से रखरखाव, प्रयोग, मरम्‍मत, या प्रतिस्‍थापन में वास्‍तविक या कथित विफलता से भी चोट लग सकती है। ये सभी जोखिम गतिविधियों में छात्र की भागीदारी में अन्‍तर्निहित समझे जाते हैं। इस करार के द्वारा, छात्र और प्रौढ़ इन सभी जोखिमों को पूर्णत: धारण किए हुए समझे जाते हैं और, गतिविधियों में छात्र की भागीदारी के अधिकार पर विचार करते हुए, वे समझते हैं और सहमत होते हैं कि कानून द्वारा अनुमत पूरी सीमा तक वे किसी भावी दावे का परित्‍याग और विमोचन कर रहे हैं जिसे वे अन्‍यथा छात्र या किसी माता-पिता, प्रशासक, निष्‍पादक, न्‍यासी, अभिभावक, समनुदेशिती या परिवार के सदस्‍य द्वारा या उनकी ओर से जिला, या बोर्ड के किसी सदस्‍य, कर्मचारी, एजेंट या जिला के स्‍वयंसेवक (‘’विमोचित पक्षकार’’) के विरुद्ध दावा करने में समर्थ होते हैं तथा यह भी समझते हैं कि दूसरे स्‍थान तक परिवहन या वहां पर गतिविधियां ‘’क्षेत्र भ्रमण’’ या ‘’सैर’’ हैं जिनके लिए शिक्षा संहिता § 35330 के अनुसरण में पूर्ण प्रतिरक्षण है।
5. यदि छात्र विश्‍वास करता है कि असुरक्षित स्‍थिति या परिस्‍थिति मौजूद है, या अन्‍यथा महसूस या विश्‍वास करता है कि गतिविधियों में भागीदारी बनाए रखने से चोट का जोखिम प्रस्‍तुत हो सकता है, तो छात्र गतिविधियों में आगे की भागीदारी तत्‍काल बन्‍द कर देगा, छात्र के विश्‍वास के बारे में स्‍कूल के कर्मचारियों को सूचित करेगा, और छात्र के विश्‍वास के बारे में किसी माता-पिता या अभिभावक को सूचित करेगा। इसके पश्‍चात, छात्र के माता-पिता या अभिभावक छात्र को गतिविधियों में भाग लेने के लिए तब तक अनुमति नहीं देंगे, जब तक असुरक्षित स्‍थिति या परिस्‍थिति का निवारण न हो जाए, तथा असुरक्षित स्‍थिति या परिस्‍थिति की कथित मौजूदगी के संबंध में किसी प्रश्‍न या चिन्‍ता का उनकी संतुष्‍टि के अनुसार समाधान न हो जाए।
6. छात्र के संबंध में आपातकालीन चिकित्‍सा सूचना जिला के पास फाइल में है और यह नवीनतम है। गतिविधियों में छात्र की भागीदारी के दौरान प्रौढ़ नवीनतम चिकित्‍सा सूचना उपलब्‍ध कराने के लिए सहमत होता है। यदि गतिविधियों के दौरान चोट लग जाती है या चिकित्‍सकीय आपात स्‍थिति उत्‍पन्‍न हो जाती है, तो तात्‍कालिक या आपातकालीन देखरेख का प्रबंध करने या प्रबंध करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए जिला कर्मचारियों, एजेंटों या स्वयंसेवकों को मेरी व्यक्त अनुमति है, जिसमें किसी तात्‍कालिक देखरेख या आपातकालीन देखरेख प्रदाता के पास छात्र को ले जाना शामिल है। ऐसी परिस्‍थितियों में, मुझे और/या या चोट या चिकित्‍सकीय आपात स्‍थिति के आपातकालीन सम्पर्क-सूत्र को सूचना देने में विलम्‍ब हो सकता है। इसलिए, किसी तात्‍कालिक या आपातकालीन देखरेख प्रदाता को उन नैदानिक या संवेदनाहारी प्रक्रियाएं संचालित करने का और/या चिकित्‍सा देखरेख या उपचार (सर्जरी सहित) उपलब्‍ध कराने का मेरा व्यक्त प्राधिकार है, जो वे सभी विद्यमान परिस्‍थितियों में तर्कसंगत या आवश्‍यक समझें। इस प्रकार की देखरेख से जुड़ी सभी लागत और खर्च केवल मेरी जिम्‍मेदारी है।
7. जिला के कर्मचारी, एजेंट या स्‍वयंसेवक, प्रेस या मीडिया के सदस्‍य, या अन्‍य व्‍यक्‍ति जो गतिविधियों में भाग ले सकते हैं या उपस्‍थित हो सकते हैं, छात्र का फोटोग्राफ, वीडियो टेप या बयान ले सकते हैं। छात्र का नाम, चेहरा, रूप, आवाज, विचार, विश्‍वास, या तृतीय पक्षों को आकृति दर्शाते हुए ऐसे फोटोग्राफ, वीडियो टेप, रिकार्डिंग या लिखित बयान वेबकास्‍ट, टेलीविजन, चलचित्र, फिल्‍म, अखबार, ईयर बुक, और पत्रिकाओं में बिना किसी सीमा के प्रकाशित या पुन: प्रस्‍तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रकाशित या पुन: प्रस्‍तुत मदों, चाहे ये मुनाफे के लिए हों या न हों, का सुरक्षा, प्रशिक्षण, विज्ञापन, समाचार, प्रचार, संवर्धनात्‍मक, सूचनात्‍मक, या किसी अन्‍य कानून सम्‍मत प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैं एतद्द्वारा हर्जाने के बिना, और आपत्‍ति या पाबंदी के बिना इस प्रकार के किसी प्रकाशन या पुन: प्रस्‍तुति के लिए अधिकृत करता हूँ और सहमति देता हूँ।
8. इस करार पर कैलीफोर्निया राज्‍य के कानून लागू होंगे। यह करार मोटे तौर पर ऊपर उल्‍लिखित प्रयोजनों और करारों के प्रवर्तन के लिए अभिप्रेत है, और अनन्‍य रूप से इस आधार पर विमोचित पक्षकारों के विरुद्ध अभिप्रेत नहीं किया जाएगा कि यह करार जिला द्वारा तैयार किया गया था। यदि इस करार का कोई भाग अवैध या अप्रभावी समझा जाता है, तो सभी अन्‍य प्रावधान प्रभावी बने रहेंगे। इस करार में किसी मौखिक संशोधन, या परवर्ती संचालन या मौखिक बयानों के जरिए इसकी शर्तों में कथित परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं है। इस करार में पक्षकारों की अनन्‍य समझ है तथा इस करार को निष्‍पादित करने या गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहमत होने का निर्णय करने में प्रौढ़ या छात्र द्वारा किसी अन्‍य अभ्‍यावेदन का सहारा नहीं लिया गया।

नीचे हस्‍ताक्षर करके: (1) मैं सारभूत वास्‍तविक या संभावित अधिकारों का त्‍याग कर रहा हूँ ताकि छात्र को गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाए; (2) मैंने किसी भी प्रकार के प्रलोभन या आश्‍वासन के बिना, और गतिविधियों में अन्‍तर्निहित जोखिमों की पूर्ण समझ के साथ इस करार पर हस्‍ताक्षर किए हैं; (3) इस करार के कार्यक्षत्र या आशय के संबंध में मेरा कोई प्रश्‍न नहीं है; (4) माता-पिता या कानूनी अभिभावक के रूप में मेरे पास इस करार को सम्‍पन्‍न करने का, और स्‍वयं को, छात्र को, तथा परिवार के किसी अन्‍य सदस्‍य को, व्‍यक्‍तिगत प्रतिनिधि, समनुदेशिती, उत्‍तराधिकारी, न्‍यासी, या अभिभावक को इस करार की शर्तों से आबद्ध करने का अधिकार और प्राधिकार है; (5) मैंने छात्र/छात्रा को यह करार समझा दिया है, जो अपने दायित्‍वों को समझता/समझती है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| माता-पिता/अभिभावक का मुद्रित नाम | हस्‍ताक्षर  | तारीख |

छात्र के रूप में, मैं इस करार के द्वारा अपने ऊपर डाले गए सभी दायित्‍वों को समझता हूँ तथा उनसे सहमत हूँ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **छात्र का मुद्रित नाम** | **हस्‍ताक्षर**  | **तारीख** |